ग्राम पंचायत थाटीबीड़, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/13 से 3/16

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत थाटीबीड़, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत थाटीबीड़ में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

(i) प्रधानः—

Sr.No.	Name	Period
1	Smt. Neeta Devi	1.4.13 to 22.1.16
2	Smt. Thakri Devi	23.1.16 to 31.3.16

(ii) सचिवः—

1	Smt. Veena Devi	1.4.13 to 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत थाटीबीड़ के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में ₹)
1	4.1	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना	—
2	4.3	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में भारी अन्तर	0.99
3	7	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.37
4	8	अनुदान राशि का अवरोधन	8.13
5	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	2.95

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत थाटीबीड़, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 6.3.17 से 16.3.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 1/14, 10/14 व 2/16 तथा 9/13, 9/14 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत थाटीबीड़, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 01/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-25 दिनांक 15.3.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत थाटीबीड़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत थाटीबीड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के लेखाओं की स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– बैंक पास बुक के अनुसार

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	416062	1853980	7258	2277300	1579220	698080
2014–15	698080	1507991	17300	2223371	1625801	597570

स्वः स्त्रोत व अनुदानः– रोकड़ बही के अनुसार

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)

2015—16	597570	1743374.48	19710	2360654.48	1267123	1093531.48
				बैंक खाता संख्या 20010011251		₹994769.48

(ii) मनरेगाः— बैंक पास बुक के अनुसार

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013—14	249351.98	1660530	6231	1916112.98	1854981.50	61131.48
2014—15	61131.48	110300	1432	172863.48	144618.00	28245.48
2015—16	28245.48	—	153	28398.48	28398.48	Nil
				बैंक खाता संख्या 0596000101123318		Nil

नोटः— (i) Labour Payment online w.e.f 11/2013

(ii) Material Payment online w.e.f 4/2015

4.1 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः—

ग्राम पंचायत थाटीबीड़ की रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम—7 के अनुसार नहीं किया गया था। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा शेष राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013—14 व 2014—15 में रोकड़ बही में अथशेष व अन्तिम शेष राशियों की गणना नहीं की गई थी जोकि उक्त नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है जबकि वर्ष 2015—16 से रोकड़ बही में बैंक पास बुक में जमा 1.4.15 के शेष को अथशेष लेकर अन्तिम शेष राशियों की गणना की गई थी। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का निर्माण अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार किया जाए तथा कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय का विवरणः—

ग्राम पंचायत थाटीबीड़ के सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अवधि 01/4/2013 से 31/3/2016 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—2 (क से ग)** में दर्शाया गया है।

4.3 बैंक समाधान तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तिम शेष में ₹0.99 लाख का भारी अन्तरः—

ग्राम पंचायत थाटीबीड़ की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खाते से मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करना

अनिवार्य था। पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों की रोकड़ बही का बैंक खातें के साथ मिलान न करने के कारण ₹98762 का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बही व बैंक खाते का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही को बैंक खाते के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही के अनुसार 31.3.16 को शेष	₹1093531.48
बैंक खाता संख्या 20010011251 के अनुसार 31.3.16 को अन्तिम शेष	₹994769.48
अन्तर	₹98762.00

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	हस्तगत राशि
1	4.10.13 से 14.10.13	4281
2	1.12.13 से 4.12.13	2958
3	5.12.13 से 15.12.13	4358
4	6.1.14 से 9.1.14	8650
5	5.9.14 से 15.9.14	3000
6	7.2.15 से 21.2.15	2100
7	6.5.15 से 19.5.15	2480
8	8.10.15 से 27.10.15	2677
9	1.12.15 से 14.12.15	2433
10	18.1.16 से 3.2.16	4333
11	12.2.16	6583
12	13.2.16	8433
13	15.2.16 से 18.2.16	11083
14	24.2.16 से 28.2.16	14433
15	9.3.16	9483

6 बजट प्राक्कलन फार्म—11 में तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म—11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में ही तैयार किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को फार्म—11 में

तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.37 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व ₹37150 वसूली हेतु शेष थी।

(i) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	7220	19750	26970	17720	9250
2014–15	9250	19750	29000	–	29000
2015–16	29000	19750	48750	16500	32250

(ii) दुकानों से किरायाः–

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	–	22400	22400	22400	–
2014–15	–	25200	25200	24500	700
2015–16	700	25200	25900	21000	4900

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर की मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करनाः–

ग्राम पंचायत थाटीबीड़ की गृहकर की मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मांग व वसूली रजिस्टर को 31.3.16 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करने का कारण स्पष्ट करते हुए उक्त रजिस्टर को प्रति परिवार की बकाया राशि को दिनांक 31.3.16 तक दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में रजिस्टर को प्रतिवर्ष पूर्ण करके बकाया वसूली हेतु शेष राशि की गणना करना सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹8.13 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–5** के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक प्राप्त कुल अनुदानों में से ₹812997 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृत पत्र के अनुसार राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.95 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "4"** में दिए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹294885 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचाकिताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A.Check Register-Form 20
2	Bill Register-Form 13
3	Cheque issue/receipt Register
4	Work Register
5	Temporary Advance Register
6	Stationary Register-Form 28

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करते समय निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न करवाए गए। अतः निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण

में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Name of Grant	Name of work	Estimate Cost
1	VKVNY	निर्माण सुरक्षा दीवार GSSS थाटीबीड़	300505
2	SDP	सामुदायिक भवन हरिजन बस्ती गाँव गनेऊली	150000
3	SDP	सामुदायिक भवन देवता गुडाला, गाँव शाहिल	–
4	SDP	सुरक्षा दीवार खोडु महादेव गाँव धमीर	100000
5	SDP	निर्माण मेला मैदान गाँव गनेऊली	100000
6	13th FC	सुरक्षा दीवार ब्रह्मा ऋषि गाँव कटोहची	100000
7	BASP	निर्माण सिंचाई योजना नरूल से गाहर	250000
8	Manrega	खाता क्रेटबाला खेल मैदान, गाँव धमीर	–
9	-do-	खाता निर्माण पक्का रास्ता धमीर से शाहीला	200000
10	-do-	खाता निर्माण सिंचाई टैंक नरौहली	100000

12 क्रय स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत प्रत्येक क्रय स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार क्रय मदो की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही खपत विवरण सहित अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Grant	Cash Book Page/Date	Bill No.	Firm	Item	Amt.
1	VKVNY	73/17.9.13	047734/17.9.13	H.P. State civil Supplier Corporation	cement	8480
2	SDP	-do-	-do-	-do-	-do-	2120
3	SDP	74/30.9.13	500/19.9.13	M/S Maa Bhawani stone crusher, Manali	stone	45500
4	Own Fund	13/25.9.14	057/13.9.14	M/S Gandhi Art Studio, Banjar,	iron board	2652
5	-do-	-do-	060/13.9.14	-do-	-do-	2205
6	SDP	14/30.9.14	38/17.4.14	M/S Luxmi Goods carriers, Banjar	Sand	6000
7	SDP	-do-	40/18.4.14	-do-	Aggregate	3000
8	SDP	-do-	3726/2.6.14	M/S Hari Ram Chaudhary & Brothers, Sainj	Marble	48240

9	SDP	15/8.10.15	42/28.2.14	M/S Luxmi Goods carrier Banjar	Sand	4830
10	13th FC	15/8.10.15	208/12.5.15	M/S Khodu Mahadev goods carrier, Thatibir	Sand Aggregate	4000
11	BASP	17/10.10.15	1820620/10.10.15	H.P. State civil supplier corporation	Cement	3690
12	SDP	17/10.10.15	1820620&21/10.10.15	-do-	-do-	6150
13	BASP	18/28.10.15	1820647/28.10.15	-do-	-do-	9840
14	SDP	19/10.11.15	2279/23.9.15	M/S GRT Steels, Thalaut	iron sheets	29340
15	Own Fund	8/30.7.14	627/23.9.15	M/S Himachal Khadi Mandal, Kullu	Furniture	45600
16	13th FC	14/25.9.15	2171/1.9.15	M/S GRT Steel, Thalaut	Pipe Angles etc.	45653
17	-do-	-do-	2173/3.9.15	-do-	Pipe	5500
18	SDP	6/18.5.15	1775/18.5.15	M/S Singh wire industries Shamshi	iron wire	34375
19	Manrega	47/9.9.13	Nil/9.9.13	M/S Durga Dass	Sand	7500
20	-do-	48/22.9.13	922/218.13	M/S Singh wire Industries, Shamshi	iron wire	118000
21	-do-	07/8.9.14	015/8.4.14	M/S Sirdu Goods Carrier Garuli	Sand	7500
22	-do-	-do-	018/29.5.14	-do-	Sand	4500
23	-do-	-do-	23/31.5.14	-do-	Aggregate	6000

13 ₹0.46 लाख का फर्नीचर की खरीदपर अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **परिशिष्ट–"क"** में बजट शीर्ष 04, कार्यालय व्यय "ङ" में फर्नीचर खरीद के लिए पंचायत को प्रति वर्ष ₹5000 तक खरीदने की शक्तियाँ है। पंचायत के व्यय बिलों की जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 में बिल संख्या 627/5.7.14 द्वारा मै0 हिमाचल खादी मण्डल कुल्लू से ₹45600 का फर्नीचर पंचायत कार्यालय हेतु क्रय किया गया जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। अतः ग्राम पंचायत द्वारा किए गए अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 Lap top की मुरम्मत पर ₹7225 का व्यय बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **परिशिष्ट–"क"** में बजट शीर्ष "17" अन्य व्यय (IV) में पंचायत को ₹2500 प्रति वर्ष व्यय करने की शक्तियाँ है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 12, दिनांक 19.9.14 को Lap top की मुरम्मत पर ₹7225 का नकद भुगतान बिल संख्या 112, दिनांक 3.9.14 द्वारा मै0 सूर्य कम्पयूटर, बंजार को किया गया। अतः उक्त व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मनरेगा के अन्तर्गत जारी मस्ट्रोल को पूर्ण न करने बारेः–

मनरेगा के अन्तर्गत जारी मस्ट्रोल में दिए गए कालम में प्रत्येक आवेदक के हस्ताक्षर लेना व जिस पंचायत सदस्य को कार्य की देखभाल के लिए मस्ट्रोल जारी किया जाता है, को मस्ट्रोल अवधि के प्रत्येक दिन हस्ताक्षर करके आवेदको की उपस्थिति सत्यापित करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मस्ट्रोल संख्या में आवेदको व कुछ मामलों में पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर मस्ट्रोल में नहीं पाए गए। मस्ट्रोल को पूर्ण करवाए बिना किया गया भुगतान आपत्तिजनक है। अतः मस्ट्रोलो को पूर्ण करवाए बिना भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मस्ट्रोल को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में मस्ट्रोल को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Mustroll no.	Period	Amt.
1	2118	6.9.14 to 21.9.14	20482
2	2119	-do-	18942
3	3242	6.11.14 to 21.11.14	20944
4	3243	-do-	18942
5	3246	-do-	21098

16 रोकड़ बही में व्यय विवरण न देनाः–

ग्राम पंचायत की सामान्य रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पृष्ठ संख्या 22, दिनांक 24.12.15 को ₹4500 का व्यय दर्ज किया गया है परन्तु इस व्यय का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। अतः उक्त व्यय का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली करके पंचायत निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का

नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः—** पंचायत की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता!/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iii) 11/2017—खण्ड—1—3518—3521 दिनाँक 23.06.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत थाटीबीड़, विकास खण्ड बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046